



पं. सविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.प.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 6546/अका./वि.प.स्थायी समिति/2018

रायपुर, दिनांक: 19/06/2018

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 15.06.2018 अपराह्न 03.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1. प्रो. के.एल. वर्मा, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
4. डॉ. एच.के. पाठक	—	सदस्य
5. डॉ. बशीर हसन	—	सदस्य
6. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
7. डॉ. विजय अग्रवाल	—	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	—	सदस्य
9. डॉ. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
10. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
11. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
12. डॉ. संदीप वनसूत्रे कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कार्यवृत्त :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.04.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.04.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.04.2018 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.04.2018 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

03. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(i)	शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महा. बलौदाबाजार	BCA-I	30	2018-19	1. प्रो. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. विनोद कुमार पटले, कम्प्यूटर अ.शा. पं. र. शु.वि.वि. रायपुर
	स्थापना वर्ष -1971-72 शासन का आदेश - 202/137/आरुशि /योजना/17 दि. 12.10.2017				

<p>निरीक्षण तिथि : 11.05.2018</p> <p>महाविद्यालय कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम BCA-I (30 सीट) के लिए अधोसंरचना पर्याप्त है। उक्त पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 से प्रारम्भ करने के लिए निम्न कि आवश्यकता होगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> नवीनतम Configuration के 10 (दस) नग कम्प्यूटर क्रय किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित 20,000 (बीस हजार) की पुस्तकें क्रय किया जाना आवश्यक होगा। प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए 02 कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा। पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेंस साफ्टवेयर क्रय किया जाना आवश्यक होगा। 					
<p>निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(ii)	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा. रायपुर	M.Sc. Biochemistry-Prev. (I & II Sem.)	10	2018-19	1. डॉ. एस.सी. नैथानी, लाईफ साइंस अ.शा. पं.र. शु.वि. रायपुर 2. डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, लाईफ साइंस अ.शा. पं.र.शु.वि. रायपुर
स्थापना वर्ष -1947-48 शासन का आदेश - पत्र क्र. 366/2017/38-1 दि. 09.10.2017					
<p>निरीक्षण तिथि : 03.05.2018</p> <p>This is the report pertaining to visit of Prof. V. Rai and Prof. SC Naithani to Govt. Nagarjun PG College of Science, Raipur, for the affiliation of the self-finance course of M.Sc. in Biochemistry. Following is the status report.</p> <ol style="list-style-type: none"> The institution has its own building with adequate theory classroom and laboratory for 10 students, as proposed. One permanent Assistant professor is working. Two ad-hoc Assistant Professors will be employed as per the workload. The non-teaching staff required for running the proposed courses is adequate. Adequate equipments are available in the laboratory [List is attached]. Library has sufficient number of books on each paper taught in MSc Biochemistry [List is attached]. 					
<p>निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(iii)	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा, राजिम, रायपुर	M.Sc. Final - Chemistry (III & IV Sem.)	15	2016-17	1. डॉ. एस.के. चटर्जी, प्राचार्य, एन.आर.एम. शास. कन्या महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.) 2. डॉ. बी.एस. छाबड़ा, प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, अभनपुर
स्थापना वर्ष -1993-94 शासन का आदेश - क्र 102/29/आरशि/अशै.प्र./2016 दि. 13.06.2017					

निरीक्षण तिथि : 18.04.2018

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा, राजिम में एम.एस-सी. (अंतिम) 12 रसायन शास्त्र हेतु सम्बद्धता हेतु निरीक्षण दिनांक 28.04.2018 को निरीक्षण समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट निम्न बिन्दुओं पर की गई है :-

1. महाविद्यालय का स्वयं का भवन है। अधोसंरचना तथा फर्नीचर पर्याप्त है।
2. महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में परिनियम 28 के अन्तर्गत एक सहायक प्राध्यापक कार्यरत है। शेष (03) सहायक प्राध्यापक परिनियम 28 के अंतर्गत नहीं है। गैर शैक्षणिक लैब स्टाफ (02) है।
3. स्नातक स्तर पर एक प्रयोगशाला तथा Balance room है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगशाला तथा Instrumentation room है।
4. ग्रन्थालय में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त (17560) है। रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर स्तर पर 325 पुस्तकें हैं। छात्र संख्या के आधार पर और अधिक पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
5. स्नातकोत्तर स्तर पर और अधिक उपकरणों की आवश्यकता है।
6. रसायन शास्त्र विभाग में केवल (01) एक Computer है और अधिक Computer क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर महाविद्यालय के एम.एस.सी. अंतिम रसायन शास्त्र सम्बद्धता हेतु है। इन शर्तों के साथ पात्र है कि और अधिक पुस्तकें, उपकरण एवं कम्प्यूटर क्रय किये जायें।

निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(iv)	शांतीबाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महा. महासमुंद	DCA	30	2018-19	1. डॉ. संजय कुमार, अध्यक्ष, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. समीर ठक्कर, शास. नागार्जुन पीजी विज्ञान महावि. रायपुर
	स्थापना वर्ष -1993-94 शासन का आदेश - क्र 1947/1287/आउशि/अशै.प्र./2016 दि. 13.06.2017				

निरीक्षण तिथि : 20.04.2018

आज दिनांक 20.04.2018 को शांतीबाई कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद का निरीक्षण किया गया और पाया कि :- अधोसंरचना पर्याप्त है।

1. अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 21 कम्प्यूटर है। 9 और नये Computer की आवश्यकता है। Licensed Software नहीं है। Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।
3. कम्प्यूटर के 3 शिक्षक हैं, लेकिन परिनियम 28 में कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है।
4. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार Standard Books क्रय करने की आवश्यकता है।

निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(v)	श्यामबालाजी महाविद्यालय, महासमुंद	PGDCA	30	2018-19	1. डॉ. संजय कुमार, अध्यक्ष, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. व्ही.के. पटले, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		DCA	30		
		स्थापना वर्ष - 2014-15 शासन का आदेश - क्र एफ-17-66/ 2017/38-2 दि. 24.03.2017			
निरीक्षण तिथि : 09.06.2018 पत्र क्रमांक 6430/अका./2018 दिनांक 30.05.2018 के संदर्भ में महाविद्यालय (PGDCA-30, PGDCA-30 सीट) का आज दिनांक 09.06.2018 को निरीक्षण किया और पाया कि :- 1. महाविद्यालय में प्रयोगशाला पर्याप्त है। 2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में नवीनतम Configuration के पांच और Computer का क्रय करने की आवश्यकता है। 3. पाठ्यक्रम में संबंधित Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है। 4. परिनियम 28 के अंतर्गत कम से कम 03 (तीन) कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। 5. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से संबंधित Reference Books छात्र संख्या के अनुपात में क्रय करने की आवश्यकता है।					
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।					

04. दिव्यांग छात्र को परीक्षा अवधि में अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय: दिव्यांग छात्र को परीक्षा अवधि में अतिरिक्त समय प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं अध्यादेश में समाहित किये जाने हेतु F.No. 16-110/2003-DD. III Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment Department of Disability Affairs, New Delhi Date 26 Feb. 2013 के दिशा निर्देश को अध्यादेश क्रमांक 6 Examination General में समाहित किये जाने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया -

- (1) प्रो. बशीर हसन, मनोविज्ञान अध्ययनशाला पं.र.शु.वि.वि. रायपुर - संयोजक
- (2) प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, वि.वि. प्रबंधन संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
- (3) प्रो. स्वर्णलता सराफ, वि.वि. फार्मसी संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

05. स्वशासी महाविद्यालय में प्रारंभ किये गये नवीन पाठ्यक्रम- 'मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस' के उपाधि के प्रारूप पर विचार करना।

निर्णय: स्वशासी महाविद्यालय में प्रारंभ किये गये नवीन पाठ्यक्रम- 'मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस' के उपाधि के प्रारूप का अनुशंसा की गई।

06. नवीन अध्यादेश Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: नवीन अध्यादेश Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology के अनुमोदन पर विचार कर निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल की अनुशंसा के पश्चात् आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

07. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के निर्णयानुसार गठित समिति की अनुशंसा, Draft Regulation - Intellectual Property Right Policy के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रक्रिया पूर्ण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

08. छ.ग. राज्य के अंतर्गत विभिन्न बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं छ.ग. राज्य ओपन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

09. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश पत्र क्र. एफ 17-1/18/38-1 दिनांक 18.04.2018 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा का नवीन नाम "श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)" किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश पत्र क्र. एफ 17-1/18/38-1 दिनांक 18.04.2018 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा का नवीन नाम "श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)" किये जाने की सूचना ग्रहण किया गया।

10. सत्र 2018-19 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची का अनुमोदन करना।

निर्णय: सत्र 2018-19 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची का विस्तृत टीप आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण


22


1. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(i)	क्रुति स्कूल आफ बिजनेस मैनेजमेंट, प्लॉट नं.-1560, नरदहा, आरंग, रायपुर	B.Ed.- 2 (Two) Year [Two Units of 50 students]	100 (50+50)	2018-19	1. प्रो. बशीर हसन, आचार्य, मनोविज्ञान अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, वि.वि. प्रबंध संस्थान, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 3. प्रो. सी.डी. अगाशे, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान एवं प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा अ.शा., पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
<p>एन.सी.टी.ई. भोपाल का आदेश - WRC/APP3442/B.Ed./287th/CG/2018/194 Dated- 5 Feb. 2018</p> <p>निरीक्षण तिथि : 14.06.2018</p> <p>1. विश्वविद्यालय के आदेशानुसार उक्त महाविद्यालय में बी.एड. कक्षा की दो यूनिट (50+50) के संचालन हेतु निरीक्षण किया।</p> <p>2. NCTE द्वारा दो यूनिटों की पात्रता प्रदान की गई है। (पत्र संलग्न)</p> <p>3. दो यूनिट बी.एड. (50+50) हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है।</p> <p>4. शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ है।</p> <p>5. स्थायी प्राचार्य परिनियम-28 के तहत नियुक्त है। पुस्तकालय में पुस्तकें पर्याप्त है। कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है। संस्था बी.एड. पाठ्यक्रम दो यूनिट संचालित करने हेतु पात्र प्रतीत होती है।</p> <p>निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।</p>					

2. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के निर्णयानुसार अध्यादेश 45 में कतिपय बिन्दु में विसंगति के परीक्षण हेतु पूर्व में गठित समिति के द्वारा पुनः की गई अनुशंसा विचारार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय:** अध्यादेश 45 में कतिपय बिन्दु में विसंगति का पुनः परीक्षणोपरांत प्रारूप (प्रपत्र-2) सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 6547 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2018
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 19 / 06 / 2018

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)